

अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

अभिलेख वाद संख्या-18/20-2/ (11)

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
03/09/2020	<p>वाद का प्रकार-बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच एवं कार्रवाई से संबंधित।</p> <p>झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-2074/रा०, दिनांक-13.05.2016 सहपठित- श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा०म०निति-119/85/2308/रा०, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा०, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जॉच प्ररम्भ की गयी। जॉच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ०नि० द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-</p> <p>मौजा-.....<u>211/खोटा</u>..... थाना नं०-<u>47</u>..... खाता संख्या-<u>69</u>.....प्लॉट संख्या-<u>1043</u>..... रकबा-<u>1.65</u>..... एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि हैं, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-II के जिल्द संख्या-<u>1</u>..... के पृष्ठ संख्या-<u>139</u>..... पर जमाबंदी रैयत <u>कोका भोझी पिता- हाजी (11) भोझी</u> के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है, कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध कोड़कर बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसकी बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशासित किया जाय।</p> <p style="text-align: center;">अभिलेख दिनांक-<u>19/09/2020</u>..... को उपस्थापित करें।</p>	
	<p><u>03/9/20</u></p> <p>अंचल अधिकारी गोविन्दपुर</p>	

19/9/2020

अभिलेख उपसमाहृत। मंत्रालय, गांधीनगर, दिल्ली की जमाबंदी
द्वारा जमाबंदी रीयत में बंगाल की राजस्व भूमि में सम्बन्धित किसी बंगाल का दस्तावेज
सम्बन्धित नहीं किया गया और न ही अन्वय प्राप्त हो सका।

अतः सक्त जमाबंदी को अर्थ में मानते हुए इसे बंगाल (आरक्षण) भूमि सुधार अधिनियम
1956 की धारा 4(1) की तहत जमाबंदी को रद्द करने हेतु अनुशंसा की जाती है। अन्वय
कार्रवाई हेतु अभिलेख मूल में भूमि सुधार उपसमाहृतों को भेजे।

19/9/20

अधन अधिकारी
गांधीनगर

सदिय/संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. सदिय/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- कोका मोमी
पिठ हाडी गग मोमी
2. जमाबंदी सं संबंधित भूमि का विवरण :-

भौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>साखोवाट</u>	<u>५७</u>	<u>६९</u>	<u>१०५३</u>	<u>१.६५ ए०</u>
3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या..... १ पृष्ठ सं०-..... १३९ पर कायम है-
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है- १९६५-६५
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- जोरआकाट खाते
6. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :- अवर ५/१९६५
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित हैं तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :-
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण /अवैध भूबन्दोवस्ती) - अवर ५/१९६५
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न/बन्दोवस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू-हस्तांतरण पंजी) पंजी ११ से
अवर ५/१९६५
10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

कम संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
-----------	------------------	------------------	------------

अ० अ०/अ० मि० गोविन्दपुत्र

आवेदन पत्रों संख्या १३९ के अंतर्गत जोरआकाट खाते की भूमि का
 संख्या १३९ के अंतर्गत जमाबंदी संख्या १३९ दर्ज है साखोवाट कोलम में
 अवर ५/१९६५ के अंतर्गत १९६५ (११) १९६५-६५ अंकित है उक्त जमाबंदी (संदेहा)
 - रूप में प्रतिबन्धित है
 फ़ातः जमाबंदी रद्द / निरस्त करने हेतु अग्रतः कार्रवाई की
 जा रही है
मि० गोविन्दपुत्र